गाजियाबाद-महायोजना-2021
प्रस्तावित भू-प्रयोग

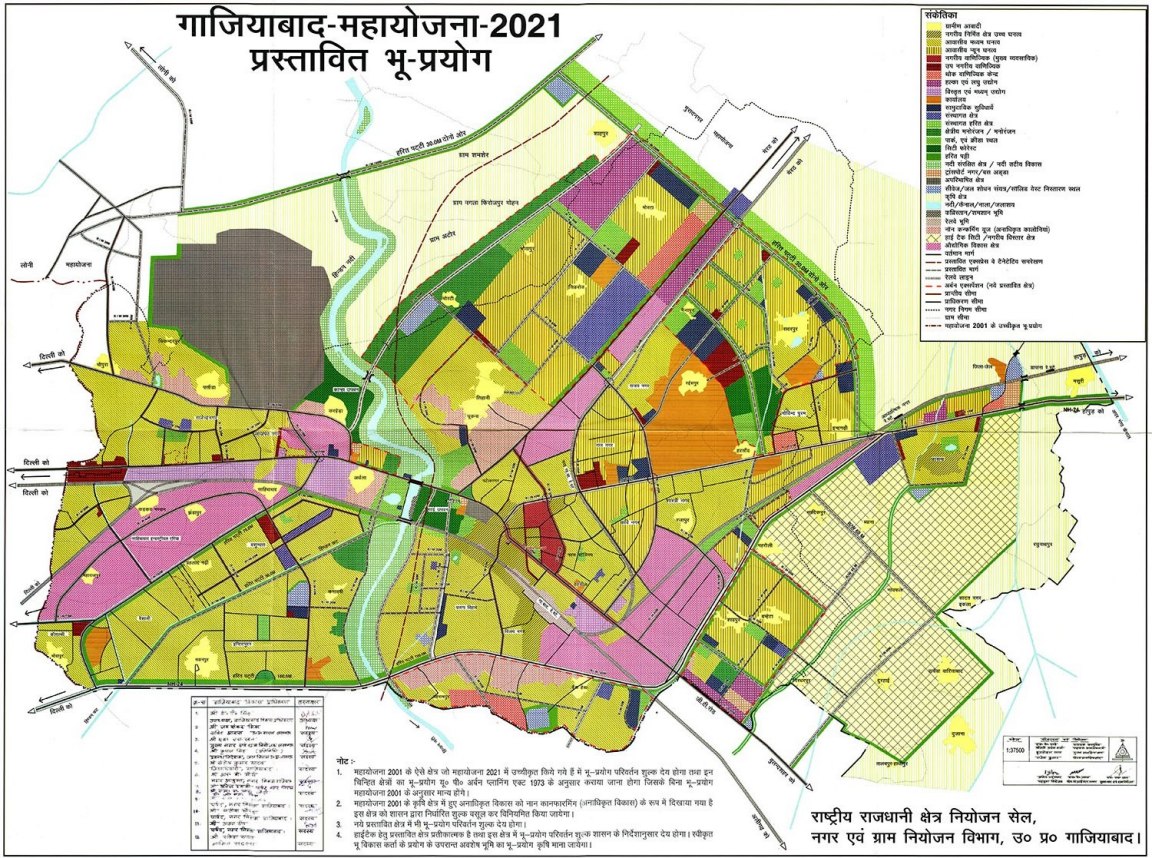

नोट :-

1. महायोजना 2001 के ऐसे क्षेत्र जो महायोजना 2021 में उपशीर्षकृत किये गये हैं में भू–प्रयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा तथा इन चिन्हित क्षेत्रों का भू–प्रयोग यू० पी० अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973 के अनुसार कराया जाना होगा जिसके बिना भू–प्रयोग महायोजना 2001 के अनुसार मान्य होगे।
2. महायोजना 2001 के कृषि क्षेत्र में हुए अनाधिकृत विकास को नान कानफारमिंग (अनाधिकृत विकास) के रूप में दिखाया गया है इस क्षेत्र को शासन द्वारा नियमित शुल्क वसूल कर विनियमित किया जायेगा।
3. नगे प्रस्तावित क्षेत्र में भी भू–प्रयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।
4. हाईटेक हेतु प्रस्तावित क्षेत्र प्रतीकात्मक है तथा इस क्षेत्र में भू–प्रयोग परिवर्तन शुल्क शासन के निर्देशानुसार देय होगा। स्वीकृत भू विकास कार्य के प्रयोग के उपरान्त अवशेष भूमि का भू–प्रयोग कृषि माना जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन सेल,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ० प्र० गाजियाबाद।